न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 01/2022 राजस्व वाद

श्रीमती मन्जू देवी पचेरीवाला पत्नी श्री पवन कुमार पचेरीवाला जाति महाजन आयु 60 वर्ष निवासी– 5 ए 29 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीया

बनाम

1. बक्षुनाथ पुत्र श्री सुवानाथ योगी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——डिलिट
2. जयसिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. वीरेन्द्र सिह पुत्र श्री भंवर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. पटवारी, पटवार हल्का करेड़ा प्रथम तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
6. भू अभिलेख निरीक्षक, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादीया
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 28/02/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 एवं 188 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीया वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीया ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु [illegible] श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के स[illegible] प्र[illegible] किया जिसके प्रकरण संख्या 01/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र [illegible] क 16 सौलह नवम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को [illegible] प्रतिवादी संख्या एक लगायत 03 तीन को होने पर उसके द्वारा माह [illegible]म्बर 2021 मे वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी की उत्तरी मेड के सहारे केबिन व टीनशेड बनाकर कब्जा कर लिया जिससे दिनांक 27 सताईश दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादीया की आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर की उत्तरी मेड के सहारे लगभग 46 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का जाली व टीनशेड बनाकर व 265 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 दो एवं 03 तीन द्वारा लोहे की केबिन व टीन शेड बनाकर अवैध कब्जा पाया गया। वादीया की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन का कोई हक अधिकार नही है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से 03 को दिनांक 28 अठाईस दिसम्बर 2021 को वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक लगायत 03 तीन साफ तौर इंकार कर दिया व जबरन भूमि पर पक्का निर्माण करने व वादीया की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी व प्रतिवादीगण जबरन मौके पर पक्का स्थायी निर्माण करने पर आमादा है व उक्त भूमि मे विद्यमान नीम के 3 वृक्षों पुराने बड़े व छोटे वृक्षो को भी ध्वस्त कर काटने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर भूमे के की उत्तरी मेड के सहारे लगभग 46 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का जाली व टीनशेड बनाकर व 265 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 दो एवं 03 तीन द्वारा लोहे की केबिन व टीन शेड बनाकर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीया को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन उक्त अवैध कब्जे की आड़ मे वादीया की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा है व यदि प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कर लिया गया तो वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य अनेका अनेक वेवाद बढ जायेगे। इस कारण से वादीया के पक्ष मे एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व उक्त भूमि पर किये गये कब्जे की भूमि पर कोई पक्का निर्माण/किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण आदें नही करे व मौका की यथास्थिति बनायी रखे व उक्त भूमि मे विद्यमान वृक्षो को किसी प्रकार की क्षति आदि नही पहुचावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व साथ ही वादीया की ओर से साक्ष्य स्वरूप [illegible] जमाबंदी की नकल पेश की गयी जो प्रदर्श–1 है, व मौका पर्चा प्रद[illegible] है [illegible] न्यायालय में प्रदर्श किये गए, व वादीया द्वारा प्रतिवादी [illegible] कब्जा छोड देने से कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवा[illegible] कार्यवाही समाप्त की गयी व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम डिलिट किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श संख्या–1 जमाबंदी जो वादीया के खातेदारी हक से दर्ज है एवं प्रदर्श–2 मौका पर्चा रिपोर्ट जो पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 एवं लगायत 03 ने सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीया के खातेदारी हक अधिकार की आराजी नम्बर 9454/9446 रकबा 0.0985 हैक्टयर उत्तरी मेड के सहारे 265 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 दो एवं 03 तीन द्वारा लोहे की केबिन व टीन शेड बनाकर अवैध कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादीया को सिपुर्द कराया जावे व साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 वादीया की भूमि मे किसी प्रकार की दखलदाजी पैदा नही करे व भूमि मे खडे वृक्षो को नुकसान नही पहुचाने व किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी वादीया के पक्ष मे एंव प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 के विरुद्ध जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह) पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 01/ 2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183, 188 आर.टि.एक्ट

श्रीमती मन्जू देवी पचेरीवाला पत्नी श्री पवन कुमार पचेरीवाला जाति महाजन आयु 60 वर्ष निवासी— 5 ए 29 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादीया

बनाम

1. बक्षुनाथ पुत्र श्री सुवानाथ योगी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——डिलिट
2. जयसिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. पटवारी, पटवार हल्का करेड़ा प्रथम तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भू अभिलेख निरीक्षक, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>बाबत कब्जा दिलाये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु.</u>

वादीया की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28/02/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 एवं लगायत 03 ने सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा [illegible] वादीया के खातेदारी हक अधिकार की आराजी नम्बर 9454/9446 [illegible] उत्तरी मेड के सहारे 265 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 दो एवं 03 तीन द्वारा लोहे की केबिन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

टीन शेड बनाकर अवैध कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादीया को सिपुर्द कराया जावे व साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 वादीया की भूमि मे किसी प्रकार की दंखलदाजी पैदा नही करे व भूमि मे खडे वृक्षो को नुकसान नही पहुचाने व किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी वादीया के पक्ष मे एंव प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 के विरूद्व जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिकी जारी की जाती। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जाकर डिकी की पालना की जावे। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह) पदेन
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महिपाल सिंह) पदेन
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested